

आति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर को दिनांक 20.10.2020 को शिकायत प्राप्त होने पर कर्मी पट्टा प्रकरण के संबंध में प्रभाषी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त कर्मी पट्टे के बारे में तर्क दिया कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार के पद पर नियुक्त है जिन्हें वकील निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस में सं 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस वकील निगरानीकर्ता सुनी गई।

आवाल दिनांक पर भी अप्रार्थी सं 0 1 एवं वकील अप्रार्थी सं 0 1 के उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। बहस हेतु वकील अप्रार्थी सं 0 1 को बार-बार 2024/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री ललित कुमार शर्मा पंचायती ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पंचायती तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलबी जरिये सम्मन की संख्या 85 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त करमाये जाने का निर्देन किया गया है।

पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत गौडजा द्वारा जारी कर्मी तरीके से जारी पट्टा बिलेख संख्या 85 फसला दिनांक 21.11.2017 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध मिलकर राज्य सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर कर्मी तरीके से पट्टा संख्या 85 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से तहत ग्राम पंचायत गौडजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा जारी पट्टा बिलेख निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के दिनांक 23.02.2026

निर्णय

उपस्थित - श्री लौकीक अहमद एडवोकेट निगरानीकर्ता की ओर से।

.....विपक्षीगण

4. उप पंचायक तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।
3. साहिब (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत गौडजा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत गौडजा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर
1. मुख्यालय पुत्र राक्षसगाम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बरनावदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

.....निगरानीकर्ता

जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर, खण्डार जिला सवाई माधोपुर
 निगरानी संख्या 24/2023
 जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर
 तारीख रज 31.07.2023



पीठासीन अधिकारी - संजय शर्मा

न्यायालय आतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ऐसे पट्टे को चुनौती का संघारण करते समय पुनरीक्षण प्राधिकारी के रास्ते में विरोध का बिन्दु बीच में नहीं आ सकता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तथ्यों के ग्राम पंचायत गौठडा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 85 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त फरमाई जावे।

वकील निगरानीकर्ता ने बहस में यह भी तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त निगरानी पेश करने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत किया गया। अवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद लागू नहीं होती है, यौक्तिक उक्त पट्टे शुरू से ही अवैधानिक है इसलिए उक्त पट्टे के पंजीकृत होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा को खारिज करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की साइटेशन 2019(1)CJ(CV)(Raj.) पृष्ठ संख्या 77 इसाक खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2019(1)CJ(CV)(Raj.) पृष्ठ संख्या 230 श्रीमती उषा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(2)CJ(CV)(Raj.) पृष्ठ संख्या 1185 मांगी लाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2017(1)CJ(CV)(Raj.) पृष्ठ संख्या 268 श्रीमती शालि देवी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा 2015(2)DNJ(Raj.) पृष्ठ संख्या 595 राजू चीला बनाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा एवं अन्य पेश की।

वकील निगरानीकर्ता की बहस सुनने, अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 व प्रस्तुत दरतावेजात व नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा संख्या 85 आदेश दिनांक 21.11.17 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पंचायती में उपलब्ध जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पट्टा फर्जी तथ्यों के बिना रिकार्ड के जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत गौठडा से प्राप्त पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार उक्त पट्टे संबंधित ग्राम पंचायत गौठडा में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे का पंजीकरण पत्रावली ग्राम पंचायत गौठडा से पट्टा फर्जी प्रमाणित होता है। अतः फर्जी तथ्यों के जारी किये जाया गया है यौक्तिक जांच रिपोर्ट से पट्टा फर्जी प्रमाणित होता है। अतः फर्जी तथ्यों के जारी किये गए पट्टे का पंजीकरण प्रारम्भ से ही शून्य है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा संख्या 85 आदेश दिनांक 21.11.17 खारिज होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.17 के द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 85 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर